आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 30 / 2020–राज्य कर

शिमला–2, 14 जुलाई, 2020

संख्याःई.एक्स.एन.–एफ.(10)–4 / 2020.––हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद् की सिफारिशों पर, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के उपनियम (3) में, 31 मार्च, 2020 से, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

"परंतु कोई पंजीकृत व्यक्ति, जो वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए धारा 10 के अधीन कर संदाय करने का विकल्प लेता है, प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित प्ररूप जीएसटी सीएमपी–02 में सूचना को जून, 2020 के 30वें दिन या उससे पूर्व तक फाइल करेगा और नियम 44 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसार प्ररूप जीएसटी आईटीसी–3 में विवरण जुलाई, 2020 के 31वें दिन तक प्रस्तुत करेगा।"।

3. उक्त नियमों के, नियम 36 के उपनियम (4) में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परंतु कि उक्त शर्त फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, 2020 के महीनों के लिए संचयी रूप से लागू होगी और सितंबर, 2020 की कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर–3ख की विवरणी, उक्त महीनों के इनपुट कर प्रत्यय का उपर्युक्त शर्तों के अनुसार संचयी रूप से समायोजन करके प्रस्तुत की जाएगी।"।

आदेश द्वारा,
जगदीश चन्द्र शर्मा,
प्रधान सचिव(आबकारी एवं कराधान)।

टिप्पणः–मूल नियम हिमाचल के राजपत्र में तारीख 29 जून, 2017 को अधिसूचना संख्याः ई.एक्स.एन.–एफ. (10)–13 / 2017 तारीख 27 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं0: 16 / 2020–राज्य कर तारीख 23 जून, 2020 जिसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्याः ई.एक्स.एन.–एफ. (10)–4 / 2020 के तहत तारीख 24 जून, 2020 को प्रकाशित किया गया था, द्वारा संशोधित किया गया।

——————

[Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-4/2020 dated 14/07/2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 30 /2020-State Tax

Shimla-2, the 14th July, 2020

No.EXN-F(10)-4/2020.—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Fourth Amendment) Rules, 2020.

(2) Save as otherwise provided, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), with effect from the 31st March, 2020, in sub-rule (3) of rule 3, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that any registered person who opts to pay tax under section 10 for the financial year 2020-21 shall electronically file an intimation in **FORM GST CMP-02**, duly signed or verified through electronic verification code, on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, on or before 30th day of June, 2020 and shall furnish the statement in **FORM GST ITC-03** in accordance with the provisions of sub-rule (4) of rule 44 upto the 31st day of July, 2020.".

3. In the said rules, in sub-rule (4) of rule 36, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the said condition shall apply cumulatively for the period February, March, April, May, June, July and August, 2020 and the return in **FORM GSTR-3B** for the tax period September, 2020 shall be furnished with the cumulative adjustment of input tax credit for the said months in accordance with the condition above.".

By order,
JAGDISH CHANDER SHARMA,
Principal Secretary (E&T).

Note: The principal rules were published in the Gazette of Himachal Pradesh *vide* notification No. EXN-F(10)-13/2017, dated 27th June, 2017, and last amended *vide* notification No. 16/2020-State Tax, dated 23rd June, 2020 published in the Gazette of Himachal Pradesh *vide* No. EXN-F(10)-4/2020 dated 24th June, 2020.

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 36/2020—राज्य कर

शिमला—2, 14 जुलाई, 2020

संख्याः ई.एक्स.एन.—एफ.(10)—4/2020.——आयुक्त, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61 के उपनियम (5) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं. 29/2020—राज्य कर, तारीख 23 जून, 2020 जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार के राजपत्र में सं0 ई0एक्स0एन0—एफ0(10)—4/2020 तारीख 24 जून, 2020 के तहत प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैंः—
उक्त अधिसूचना के, पहले पैरा में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः—